निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )लेखा/अनु/आकाशि/वि.सभा प्रश्न/11–12/101 दिनांकः–21.2.12

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– माननीय श्री वासुदेव देवनानी (168),सदस्य राजस्थान विधान सभा के राजस्थान विधान सभा प्रश्न सं. 1962/उच्च शिक्षा/अतारांकित के प्रति उत्तर दिये जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय श्री वासुदेव देवनानी (168),सदस्य राजस्थान विधान सभा के राजस्थान विधान सभा के निम्नलिखित अतारांकित प्रश्न सं. 1962 का प्रति उत्तर अविलम्ब प्रस्तुत करावें :–

1. क्या राज्य में पूर्व में संचालित अनुदानित महाविद्यालय यू.जी.सी. से 2F एवं 12B में मान्यता प्राप्त थे व यू.जी.सी. से लगातार अनुदान प्राप्त कर रहे थे ? यदि हॉ, तो यह मान्यता किन शर्तो के अधीन प्राप्त थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।
2. क्या अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों के सरकारी सेवा में चले जाने से उन महाविद्यालयो को आज भी 2F एवं 12B में मान्यता प्राप्त रह पाएगी ? यदि हॉ, तो कैसे और नहीं, तो इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का भविष्य क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।
3. क्या बिना 2F एवं 12B में मान्यता रहते इन संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलने वाली डिग्री मान्य होगी ? यदि हॉ, तो किन नियमों के अन्तर्गत और नहीं, तो विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी किसकी होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपिः– बेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर